सत्यमेव जयते

खंड ९ संख्या २१

बिहार विधान सभा वादवृत्त

सरकारी रिपोर्ट

मंगलवार, तिथि ६ मार्च, १९५६।

Vol. IX No. 21

The Bihar Legislative Assembly Debates

Official Report

Tuesday, the 6th March, 1956.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार,
पटना, द्वारा मुद्रित,
१९५६।

[मूल्य—६ आना।]

[Price—6 Annas.]

विधायक क्वार्टरों में जल-कष्ट ।

*१६९९। श्री लक्ष्मी नारायण सिंह—क्या मंत्री, स्व-शासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि 'आर ब्लॉक' के मकान में बराबर पानी मिलने का प्रबंध है ;

(२) क्या यह बात सही है कि गार्डीनर रोड के बने विधायकों के मकानों में पानी की ऐसी सुविधा नहीं है जैसी 'आर ब्लॉक' में है ;

(३) क्या जो अभी नयी पानी टंकी बनी है उससे यह सुविधा दी जा सकेगी, यदि नहीं, तो सरकार पानी के लिये कौन-सा प्रबंध करना चाहती है और कब तक ?

श्री भोला पासवान—(१) और (२) 'आर ब्लौक' के मकानों में तथा विधायकों के मकानों में पटना वाटर बोर्ड द्वारा जल की आपूर्त्ति प्रातः ३ बजे से ११ बजे रात तक होती है किन्तु 'आर ब्लौक' के मकानों पर पानी की टंकी की व्यवस्था होने से पानी बराबर मिलता है जो सुविधा गार्डीनर रोड में बने विधायकों के मकानों में नहीं है ।

(३) इस नये पानी टंकी से यह सुविधा नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह संकट काल में जल-आपूर्त्ति के हेतु निर्मित हुई है पर इस प्रश्न पर उचित विचार के लिए लोक निर्माण विभाग को कहा जायगा ।

श्री जगन्नाथ सिंह—क्या सरकार को यह बात मालूम है कि सरकार का जवाब गलत है और 'आर ब्लौक' तथा गार्डीनर ब्लौक में पानी का अभाव है और तीन बजे सुबह से ११ बजे रात तक पानी नहीं मिलता है ।

उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य जरा इसे और साफ करके कहें कि किस वक्त से किस वक्त तक पानी मिलने का इंतजाम है ताकि उत्तर दिया जा सके ।

श्री जगन्नाथ सिंह—क्या सरकार को मालूम है कि 'आर ब्लौक' रोड नं० ३ में जो फैमिली क्वार्टर्स हैं उनमें पानी का प्रेशर इतना कम है कि एक-एक घंटा स्नान के लिये ठहरना पड़ता है और हमलोगों को पटने में अरेबियन डेजर्ट का अनुभव हो रहा है ।

उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य का कहना है कि पानी मिलता है जो बहुत ही अपर्याप्त है । इसका उत्तर माननीय मंत्री अगर चाहें तो दे सकते हैं ।

श्री भोला पासवान—प्रेशर ऑफ वाटर कम है यह सवाल अभी नहीं उठता है ।

उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य श्री जगन्नाथ सिंह ने जो सवाल पूछा है उसका इस प्रश्न से संबंध है । माननीय मंत्री अगर जवाब दे सकते हैं तो दें ।

श्री भोला पासवान—सरकार को इसकी खबर नहीं है।

श्री जगन्नाथ सिंह—क्या सरकार इसकी जांनकारी प्राप्त करेगी और इसके लिये उचित कार्रवाई करेगी कि जलकष्ट न हो ?

श्री भोला पासवान—उपाध्यक्ष, महोदय यह तो रीक्वेस्ट फौर ऐक्शन है।

श्री जगन्नाथ सिंह—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ५ बजे सुबह से १ बजे दिन तक और फिर ३ बजे दिन से ११ बजे रात तक ही पानी मिलता है और सरकार ने जो अभी जवाब दिया कि ३ बजे सुबह से ११ बजे रात तक पानी मिलता है वह गलत है ?

श्री भोला पासवान—यह प्रश्न हमारे सामने नहीं है।

श्री हरवंश नारायण सिंह—क्या यह बात सही है कि फ्लैट में ५ बजे से १ बजे दिन तक और ३ बजे दिन से ११ बजे रात तक पानी मिलता है ?

उपाध्यक्ष—शांति, शांति। सदन के कई ओर से यह आवाज आ रही है कि माननीय मंत्री ने जो जवाब दिया है वह वास्तविकता के अनुसार नहीं है तथा वास्तविकता की बात यह है कि ५ बजे सुबह से १ बजे दिन तक और ३ बजे दिन से ११ बजे रात तक ही पानी मिलता है अतः माननीय मंत्री आवश्यक जांच करके अपने जवाब में सुधार करें।

श्री कर्पूरी ठाकुर—पानी हमलोग लेते हैं, फिर जांच क्या होगी ?

उपाध्यक्ष—माननीय सदस्यों को मालूम है कि जवाब....

श्री रमेश झा—गलत जवाब दिया गया है।

उपाध्यक्ष—सदन के हर माननीय सदस्य को स्वयं इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि एक बार एक ही माननीय सदस्य उठ कर बोलें।

श्री त्रिवेणी कुमार—क्या सरकार जिन अफसरों ने गलत जवाब दिया है उन पर कार्रवाई करना चाहती है ?

श्री भोला पासवान—उपाध्यक्ष महोदय, हमारा ख्याल है कि यह प्रश्न नहीं उठता है। अगर गवर्नमेंट के जवाब पर ही यहां जजमेंट हो जाय तो शायद वह ठीक नहीं होगा। हमारी जो एजेंसी है वह हमारे पास जवाब भेजती है, जो इंफार्मेशन हम चाहते

हूँ वह देती है, अगर वह गलत हुआ तो उसकी इंक्वायरी की जाती है लेकिन जो जवाब हमने दिया वह इंक्वायरी के आधार पर दिया है और मैं समझता हूं कि यह प्रश्न नहीं उठता है।

उपाध्यक्ष—माननीय मंत्री ने जवाब दिया प्रश्न का और उसपर माननीय सदस्यों ने पूरक प्रश्न पूछा और हमारे माननीय मंत्री ने ओब्जेक्ट किया। इसके संबंध में मैं अपनी राय देना चाहता हूं।

जो प्रश्न सदन में पूछा जाय और उसका उत्तर माननीय सदस्यों की जानकारी के मुताबिक सचमुच में ठीक न आवे और वे इस बात पर आग्रह करें कि यह बात गलत है तो उचित यही है कि संबंधित विभाग के मंत्री उसकी जांच करायें और इसके बाद अगर साबित हो जाय कि जवाब गलत है तो उसे सुधार लें। इतना ही नहीं अगर जवाब गलत आया है तो सरकारी पदाधिकारी से जिन्होंने जवाब तैयार किया है इसके बारे में पूछा जाय कि क्यों गलत जवाब भेजा गया।

Shri RAMCHARITRA SINHA : I would like to know under what Rules of Business this remark from the Chair has been made ? I think the Chair cannot make such remark.

(विरोधी बेंच से हल्ला।)

श्री त्रिवेणी कुमार—आप चेयर को थ्रेट नहीं कर सकते।

Shri SHRISCHANDRA BANERJEE : You are no longer a Professor. Remember please.

(हल्ला)

श्री रामचरित्र सिंह—अगर इस तरह हल्ला करेंगे तो ठीक नहीं है।

उपाध्यक्ष—शांति, शांति। माननीय मंत्री ने पूछा है कि किस नियम और किस कायदे के मुताबिक अध्यक्ष ने ऐसी रूलिंग दी है ? शांति, शांति। इसके संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि जो ओबजर्वेशन चेयर के होते हैं वे रूलिंग के मुताबिक, कंवेंशन के, मुताबिक होते हैं और जब यह चीज नहीं होती है तो कंवेंशन क्रियेट किये जाते हैं। इसलिए अगर इस तरह का कोई कंवेंशन नहीं है तो मैं यह कंवेंशन क्रियेट करता हूं।

Shri RAMCHARITRA SINHA : Then you have created a convention.

DEPUTY SPEAKER : Yes, this convention has been created after full deliberation. There should be no further discussion now.